न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 21 / 2021
दायर दिनांक : 14.12.2021
निर्णय दिनांक : 04.01.2024

उनवान

1. नन्दलाल पुत्र नगजीराम गाड़री निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
2. नारूलाल पुत्र नगजीराम गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
3. डाली पत्नी नगजीराम गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
4. उदी पत्नी भारमल गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
5. नारायण पुत्र भारमल गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्ना पुत्र चुन्ना कुम्हार निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
2. गीता पत्नी चुन्ना कुम्हार निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
3. देउबाई पत्नी शांतिलाल कुम्हार निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
4. नारायण पुत्र चुन्ना कुम्हार निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
5. पंकज पुत्र शांतिलाल कुम्हार निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
6. रतनी पुत्री शांतिलाल कुम्हार निवासी बबराना तहसील भूपालसागर पत्नी राजू हाल नि. बूल
7. राधा पुत्री शांतिलाल कुम्हार निवासी बबराना तहसील भूपालसागर पत्नी देवीलाल हा.नि. गोराजी का निम्बाहेड़ा
8. लछा पुत्र चुन्ना कुम्हार निवासी रोलिया तहसील कपासन
9. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री आसिफ ईकबाल, अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि मौजा ग्राम बबराना पटवार हल्का बबराना तहसील भूपालसागर की हाल आ.सं. 1772 रकबा 0.70 है., भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर आधिपत्य व उपयोग, उपभोग की है। सबूल में हाल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थीगण की आ.सं. 1772 में आने जाने व पहुंचने के लिए प्रार्थीगण की आ.सं. 1661 रकबा 0.02 है. किस्म गै.मु. रास्ता से अप्रार्थीगण की आ.सं. 1666 रकबा 0.44 है. की उत्तरी दिशा की मेड़ पर होकर हम प्रार्थीगण की आ.सं. 1772 में पहुंचकर कृषि कार्य व उपयोग उपभोग अपने बाप दादाओं के समय से ही करते हा रहे हैं। प्रार्थीगण की आराजियात में अपने बाप दादाओं के समय से ही अप्रार्थीगण की आ.सं. 1666 की उत्तर दिशा मेड पर होकर खाली भरी बैलगाडी, मवेशी, कृषि औजार व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने व कृषि फसल के बोने व अन्य कार्य तथा फसल उपज लाने प्रार्थीगण अपनी आराजियात में फसल बुवाई कर काश्त करते चले आ रहे हैं मगर अप्रार्थीगण ने दिनांक 13.09.2021 को प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात में [illegible] के लिए अपने आराजियात में अप्रार्थीगणकी आ.सं. 1666 में होकर जाने लगे तो अप्रार्थीग[illegible]ने के लिए मना कर दिया और प्रार्थीगण को मां बहनो की गाली गलौच कर लड़ाई झगड़[illegible] पर आमादा हो गये और अप्रार्थी ने धमकी दी कि आयन्दा हमारी उक्त आराजी 1666 की उत्तरी दिशा [illegible] पर होकर गये तो तुम लोगों को जान से ही खतम कर देगे। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात [illegible] आश्रित होकर फसल काश्त कर अपना भरण पोषण कराते हैं एवं अप्रार्थीगण की आ.सं. 1666 की उत्तर दिशा की मेड का रास्ता बंद कर दिया है इस कारण प्रार्थीगण को अपने आराजियात में आने जाने के लि[illegible] किसी भी दिशा से रास्ता उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात का उपयोग उपभोग कर फसल काश्त भी नहीं कर पा रहे हैं एवं अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजियात का रास्ता अवरूद्ध कर प्रार्थीगण की आराजियात पर भी जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने व फसल काश्त करने अप्रार्थीगण की आराजियात सं. 1666 के उत्तर दिशा की मेड़ के अलावा प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने के लिये सबसे लघुतम रास्ता यही है तथा वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अप्राथीगण द्वारा आ.सं. 1666 के उत्तरी दिशा की मेड पर स्थित रास्ते पर होकर आने जाने के लिऐ रोका है व रास्ता अवरूद्ध कर दिया जिसको तत्कालीन स्थिति में चालू करवाकर उक्त रास्ते को रिकार्ड में दर्ज कर प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये नहीं रोके इस आशय से पाबन्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.31 13:08:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

है। अप्रार्थीगण द्वारा आ.सं. 1666 के उत्तरी दिशा की मेड पर स्थित रास्ते पर होकर आने जाने के लिए रोका है व रास्ता अवरूद्ध कर दिया जिसको तत्कालीन स्थिति में चालू करवाकर उक्त रास्ते को रिकार्ड में दर्ज कर प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये नहीं रोके इस आशय से पाबन्द किया जाना आवश्यक है जिससे हम प्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयो पैसो में नहीं आंकी जा सकती है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के लिये डी.एल.सी. दर या श्रीमान के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
2. प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। राजपेरोकार भूपालसागर द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।
3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

4. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)
   प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर जाने हेतु आ. नं. 1666 प्रार्थीगण की आराजी से लगती हुई है जहां प्रार्थीगण रास्ता चाहते है, आ.सं. 1666 में 76 मीटर लम्बाई व चौडाई 4 मीटर का रास्ता चाहते हैं, जिससे 304 वर्गमीटर भूमि रास्ते की बनती है।
5. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।
   तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया द्वारा अपनी आराजी में जाने हेतु यही रास्ता चाहा जो लघुत्तम एवं निकटतम मार्ग है।
6. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।
   अप्रार्थी राजस्थान सरकार है।
7. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।
   – मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 संलग्न है।
8. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)
   तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ते की चौडाई 76 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर से कुल क्षेत्रफल 304 वर्गमीटर होता है। वर्तमान डी.एल.सी. दर 10,46,493 प्रति है0 से रकबा 304 वर्गमीटर की मालियत 31,814 रूपये बनती है। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 63,628 रूपये होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.31 13:08:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के [illegible] पटवार हल्का बबराना तहसील भूपालसागर के हल्के [illegible] 1772 है। प्रार्थीण की आराजीयात में आने जाने, हेतु [illegible] की तरफ 76 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता दिये जाने में त[illegible]लदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बबराना पटवार हल्का बबराना तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 1772 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 1666 की उत्तरी दिशा कोने से है। जिसका रकबा 304 वर्गमीटर है, का जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 10,46,493 रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 304 वर्गमीटर की कुल मालियत 31,814 रूपये का दुगुना 63,628 रूपये अक्षरे तरेसठ हजार छः सौ अट्ठाईस रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.31 13:08:24 IST
Reason: SelfAttested